न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 271/2022 | तारीख दायर 30-05-2022 | तारीख फैसला 15-07-2022

2

उनवान

अमन जैन ————:: वादी

बनाम

योगेश व अन्य ————:: प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रार्थी (प्रतिवादीगण संख्या 3) द्वारा निम्न पेश है कि वादी द्वारा तकासमा का वाद प्रस्तुत किया गया है वादी वाद में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा में रिकोर्डेड खातेदार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में तकासमा के लिए केवल अभिलिखित सहखातेदार ही दावा ला सकता है एवं यदि वादी दान पत्र के आधार पर तकासमा कराना चाहता है तो पूर्व में उसे दान पत्र के आधार पर स्वयं को सहखातेदार घोषित करने हेतु घोषणात्मक वाद पेश करना चाहिये था। अभिलिखित सहखातेदार दर्ज होने के उपरान्त ही वादी तकासमा का वाद ला सकता था एवं इस वाद में भी घोषणात्मक डिकी हेतु किसी प्रकार के अनुतोष की मांग वादी ने नहीं की है। वादी स्वयं को सहखातेदार दर्ज कराये बिना तकासमा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। आराजी खसरा नम्बर 358 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन टीबा है। गैरमुमकिन भूमि काश्त योग्य भूमि नहीं होती। जिसका विभाजन किया जाना कानूनन संभव नहीं है। इसलिए वाद वादी काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी (वादी) पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाकर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी (प्रतिवादीगण) अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि खसरा नम्बर 358 रकबा 1.37 है0 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा में रिकोर्डेड खातेदार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में तकासमा के लिए केवल अभिलिखित सहखातेदार ही दावा ला सकता है एवं यदि वादी दान पत्र के आधार पर तकासमा कराना चाहता है तो पूर्व में उसे दान पत्र के आधार पर स्वयं को सहखातेदार घोषित करने हेतु घोषणात्मक वाद पेश करना चाहिये था। जिसके समर्थन में RRD 1984 Page No. 712-722 पेश की गई।

अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि बिना जवाब दावा पेश किये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पेश नहीं कर सकते है। अपनी बहस के समर्थन में 2016(3)CJ(Civ.)(SC) Page No. 762-765 पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जिसमें भूमि की किस्म गैर मुमकिन टीबा अंकित है प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि केवल रिकॉर्डेड सहखातेदार ही दावा प्रस्तुत कर सकता है यदि कोई व्यक्ति रिकोर्डेड सहखातेदार नहीं है तो पूर्व में उसे घोषणात्मक दावे से अपनी प्रास्थिति दर्ज करानी होगी प्रस्तुत वाद में वादी रिकोर्डेड सहखातेदार नहीं है एवं ना ही उसके द्वारा धारा 53 के साथ अन्तर्गत धारा 88 में इश्तकरारहक का वाद प्रस्तुत किया गया है। इसी लिए कानून परिप्रेक्ष्य में यह वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)